



148

न्यायालय श्री मन् सदन्य मवेदय, राजस्व मण्डल कैम्प/लिविंग म प्र., 2011/2011

R-1370-III/2011

- 1:- रामजियावन कुशमाव तनय श्री परानु कुशमाव
- 2:- राजमणि कुशमाव तनय श्री परानु कुशमाव
- 3:- रामबहोर कुशमाव तनय श्री परानु कुशमाव

सभी निवासी ग्राम मरसर तहसील चुरहट जिला सीधी म प्र.

\_\_\_\_\_ आवेदक

व नाम

26/8/11

- 1:- रामाश्रय तनय श्री बाला कुशमाव
- 2:- राजकरण तनय बाला कुशमाव
- 3:- सुसो लक्ष्मी बेबा बाला कुशमाव
- 4:- कालू तनय बाला कुशमाव
- 5:- बोइडी तनय मुअर कुशमाव

सभी निवासी ग्राम मरसर तहसील चुरहट जिला सीधी म प्र.

\_\_\_\_\_ अनावेदक गण

26-8-11

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्री मन् अमर अयुक्त रीवा तुम्हाग रीवा म प्र. प्र. क्र. 439/अमील/2010-2011 आदेश दिनांक - 28.2011.

2

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म प्र. मु.रा. सुविधा सन् 1959 सेवी.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1370/एक/2016

जिला-सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
<u>24/8/16</u>	<p>यह निगरानी आवेदक द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 428/2010-11 अपील में पारित आदेश दिनांक 02.08.2011 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2- प्रकरण का सारांश यह है कि ग्राम मरसर में स्थित भूमि कुल किता 5 रकवा 2.26 है0 के हिस्सा बांट पर आवेदकगण द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गयी थी जिसे तहसीलदार द्वारा निरस्त करने का आदेश पारित किया। इसके विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी चुरहट जिला सीधी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी जो पारित आदेश दिनांक 08.11.2010 को निरस्त की गयी, जिसके विरुद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में प्रस्तुत की गयी जो आदेश दिनांक 02.08.2011 से निरस्त की गयी। इसी आदेश के विरुद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।</p> <p>3- निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा</p>	

उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

4- आवेदक अभिभाषक ने तर्कों में बताया कि विचारण न्यायालय के समक्ष उनकी ओर से विधिवत् आपत्ति की गयी थी, किन्तु उनके द्वारा आपत्ति का विधिवत् निराकरण नहीं किया है और अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा एक जैसे आदेश पारित किये हैं, जो साक्ष्य पर आधारित नहीं है ऐसी स्थिति में समस्त न्यायालयों के आदेश निरस्त कर प्रकरण तहसील न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया जाये। जिससे आवेदक को वास्तविक न्याय प्राप्त हो सके।

5- अनावेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्कों में मुख्य यह तर्क प्रस्तुत किये हैं कि उपरोक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष से जो साक्ष्य पर आधारित है, ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिये इस संबंध में 1985 आर.एन. 181 उच्च न्या. 1998 आर. एन. 418 उच्च न्या. 2008 आर.एन. 357 अंत में उनके द्वारा निगरानी अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

6- उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों के विचार करने एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि तहसीलदार चुरहट के समक्ष आवेदकगण द्वारा बंटवारा प्रकरण में प्रचलनता पर आपत्ति प्रस्तुत की गयी थी, जिसका विधिवत् निराकरण तहसीलदार तहसील चुरहट द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.03.2010

में विधिवत् रूप से किया गया है तत्पश्चात् प्रथम अपीलीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी चुरहट एवं अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों पर विधिवत् विचार करने के पश्चात् आदेश पारित किये हैं। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत 1985 आर.एन. 185 में स्पष्ट किया है कि तीनों निचले न्यायालयों के आदेश तथ्यों के समवर्ती निष्कर्षों पर आधारित-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। उपरोक्त न्याय दृष्टांत के परिपेक्ष्य में जो आदेश अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित किये गये हैं, उनमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई कारण नहीं है।

7- उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाकर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2011 स्थिर रखे जाने के आदेश दिये जाते हैं।

  
सदस्य